आज़ादी का अमृत महोत्सव

अंक : 18 • वर्ष : 2021

मानव अधिकार: नई दिशाएं

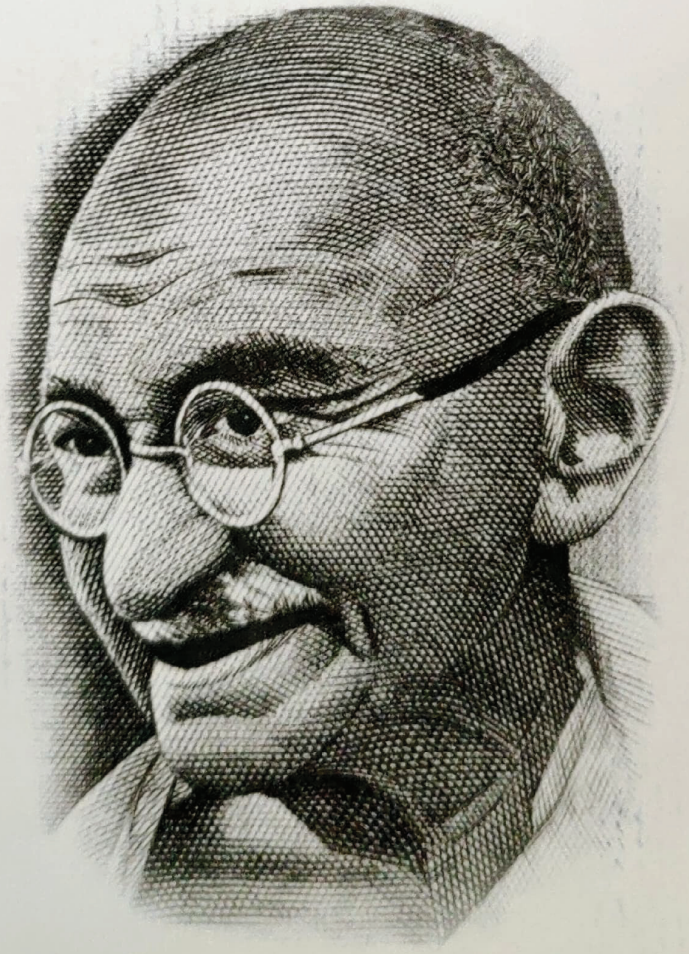

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार : नई दिशाएं

अंक : 18, वर्ष : 2021

मानार्थ प्रति
Complimentary Copy

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

06/01/2022.

प्रकाशक : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक–सी, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली – 110023 भारत

© 2021 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

ISSN 0973–7588 यूजीसी–केयर की गुणवत्ता पत्रिका की संदर्भ सूची में शामिल

अस्वीकरण : प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सलाहकार मण्डल या संपादक मण्डल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मूल्य : ₹50/–

प्राप्ति स्थान :
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक–सी, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली – 110023 भारत
वेबसाईट : www.nhrc.nic.in
ई–मेल : covdnhrc@nic.in

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार : नई दिशाएं

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

अंक 18 **वर्ष 2021**

अनुक्रम

दो शब्द

डॉ. ज्ञानेश्वर मुले

सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

आमुख

श्री बिम्बाधर प्रधान

महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

संपादकीय

श्रीमती अनिता सिन्हा, आई.आर.एस

संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

खण्ड–I

आलेख

क्र.सं.	लेखक/लेखिका का नाम	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अशोक मिश्र	21वीं सदी में मानवाधिकार के प्रश्न	3
2.	बलराम	दलितों को चाहिए अधिकार	9
3.	कन्हैया त्रिपाठी	21वीं सदी में मानव अधिकार के प्रश्न	15
4.	गिरीश काशिद	मानव अधिकार एवं प्राकृतिक आपदाएँ	23
5.	गौरहरि दास	प्राकृतिक आपदाएं और स्थानांतरण	29
6.	सूर्यकांत नागर	बहुआयमी है आपदाओं और अधिकारों का मसला	34
7.	प्रबोध कुमार गोविल	पर्यटन और मानव अधिकार	40
8.	रजनी गोसाई	कोविड–19 का बच्चों पर असर	47
9.	वीरेन्द्र सिंह	21 वीं सदी में मानवाधिकार के सवाल और आधुनिक हिन्दी कविता	51
10.	राकेश कुमार सिंह	कोविड के दौरान प्रवासी महिला कामगारो के संवैधानिक व वैधानिक अधिकारः एक विश्लेषण	59
11.	संजीव कुमार चड्ढा चन्दना सुबा	पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के चाय बगानों में नियोजित आदिवासियों के मानव अधिकार : महिलाओं के सन्दर्भ में एक विशेष अध्ययन	69
12.	राकेश शर्मा "निशीथ"	प्राकृतिक आपदाएं और मानवाधिकार	77
13.	नीलमणि शर्मा	कोविड – 19 का बच्चों पर प्रभाव	86
14.	सनी सुरेशकुमार हासानी	खानदेश : (उत्तर महाराष्ट्र) क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं और मानवाधिकार	95
15.	सुप्रिया पाठक	कोविड महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के मानवाधिकार	102
16.	नरेश कुमार	21वीं सदी में मानव अधिकार एवं हनन के विविध आयाम	108
17.	विकास यादव	21 वीं सदीः सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव अधिकार	117
18.	अमरेन्द्र कुमार शर्मा	महामारी में मजदूरों का पलायन और मानवाधिकार	123
19.	मुज़ीबुर्रहमान रामचन्द्र मीना	आदिवासी लोगों के मानवाधिकारों का अनुभवजन्य अध्ययनः राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले के ग्राम खमेली और घंटिगाला के विशेष संदर्भ में	128
20.	ममता कुमारी	कोरोना संकट के दौर में असंगठित मजदूरों का पलायन और मानव अधिकार	138

21.	मुकेश कुमार पाण्डेय	21वीं सदी में मानवाधिकार के प्रश्न - बच्चे और सशस्त्र संघर्ष	144
22.	प्रीति चौधरी शिव कुमार खरवार	गंगा प्रदूषण की समस्या व गंगा कायाकल्प व पुर्नरुद्धार कार्यक्रम	152
23.	संदीप भट्ट	21वीं सदी में भारत में मानवाधिकारों के प्रश्न और मीडिया का उत्तरदायित्व	168
24.	सुदर्शन वर्मा	भारत में गरीब छात्र- छात्राओं की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी का प्रभावः शिक्षा के मानव अधिकार के संदर्भ में एक अवलोकन	175
25.	मोहम्मद अजवर खान	आदिवासियों के मानवाधिकारों का संरक्षण और वर्तमान भारत में उनके समक्ष चुनौतियां	189
26.	राहुल तिवारी	आदिवासियों के मानव अधिकार	199
27.	अनुप कुमार	कोरोना, प्राकृतिक आपदा और मानवाधिकार	208
28.	शंकर सिंह	भारत में बांध, समावेशी विकास, कानून और विस्थापन	214

खण्ड- II

कविताएं

1.	श्रुति	काल का ग्रास	225
2.	प्रियंका पुरोहित	महामारी की निद्रा	228
3.	के. पी. पाण्डे	क्योंकि मैं मजदूर हूँ	229
4.	श्यौराजसिंह 'बेचैन'	मूंछ का एक बाल	231
5.	श्यौराजसिंह 'बेचैन'	विद्या	233

खण्ड- III

कहानियां

1.	दामोदर खड़से	बर्फ होते सपने	237
2.	महावीर राजी	चल खुसरो घर आपने	251
3.	अभिषेक सौरभ	श्रमिक एक्सप्रेस	256

मानव अधिकार एवं प्राकृतिक आपदाएँ

गिरीश काशिद*

मानव जाति के विकास का मूल अधिकार ही मानव अधिकार है। "मानवाधिकार (Human rights) वे नैतिक सिद्धान्त हैं जो मानव व्यवहार से सम्बन्धित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है। ये मानवाधिकार स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। ये अधिकार प्रायः ऐसे 'आधारभूत अधिकार' हैं जिन्हें प्रायः 'न छीने जाने योग्य' माना जाता है और यह भी माना जाता है कि ये अधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं। व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास–स्थान, भाषा, धर्म, आदि का इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं।"[1] मानव अधिकार के घोषणा–पत्र में नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित 30 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में मानवीय मूल्यों का विकास और मानव के सम्मान की रक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान है। अर्थात मानव अधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में आनेवाले अधिकारों का हमारे संविधान में जिक्र है। विश्व में शांति, सद्भाव, भाईचारा बना रहे और वह अपनी निजता के साथ अपने नैसर्गिक अधिकारों का उपयोग कर पाए, इस बात को केंद्र में रखकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर, 1948 को मानवाधिकारों के विश्वव्यापी घोषणापत्र को प्रस्तुत किया। व्यक्ति को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ये आवश्यक जरूरतें होती हैं। लेकिन मनुष्य को यह मिलने से उसका जीवन बेहतर होता है ऐसा नहीं। व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा का स्थान अहं होता है। भारतीय संविधान के भाग तीन में मूलभूत अधिकारों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकार, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा मान्यता प्राप्त मानवाधिकार कहा गया है। मानवाधिकारों का सही ढंग से प्रयोग हो और उसका उल्लंघन करनेवालों को दंडित किया जाए, इस उद्देश्य से मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। आयोग पर मानव अधिकार की रक्षा और प्रशासन व्यवस्था में सुधार आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीड़ित व्यक्ति आयोग के माध्यम से अपने अधिकारों की माँग कर सकता है। मानव अधिकार आयोग समाज में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता जाग्रत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसी भी मनुष्य को आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार का समर्थन करता है। मानव अधिकार का उचित क्रियान्वयन हर राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इसके आधार पर उसकी विश्व में पहचान होती है। "कोई राज्य मानवाधिकारों की सुरक्षा के बिना पूर्ण संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। मानवाधिकार और संप्रभुता की बराबर अहमियत से राज्यों पर दोतरफा ज़िम्मेदारी पड़ जाती है। बाहर से अपनी संप्रभुता का सम्मान और आंतरिक तौर पर अपनी जनता का सम्मान और खुशहाली बनाए रखना।"[2]

भारत विविधता में एकता रखने वाला देश है। हमारे देश में भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्तर पर विविधता पाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ मानव अधिकार का मुद्दा और भी अहं बन जाता है। देश की व्यापकता और विविधता, विविध धर्म, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा पूर्व इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल है। हमारी भौगोलिक विविधता हमारे लिए वरदान भी है और समस्या भी अर्थात यह हर स्थान पर होता है। संसाधनों की कमी, मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी, कार्यशैली आदि के चलते कई समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता हैं। भारत के दूरदराज़

* अध्यक्ष, हिंदी विभाग, एस. बी. झाड़बुके महाविद्यालय, बार्शी, जिला–सोलापुर–413401 (महाराष्ट्र)

इस संदर्भ में इसरो की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है। "भारत बाढ़, भू–स्खहलन, चक्रवात, दावानल, भूकंप, सूखा आदि जैसी कई प्राकृतिक आपदा का प्रवण क्षेत्र है। उपग्रह नियमित अंतराल पर प्राकृतिक आपदाओं के संक्षिप्त प्रेक्षण प्रदान करते हैं, जो उत्तकम योजना बनाने और आपदाओं के प्रबंधन में सहायक होते हैं। इस प्रकार की आपदाओं के कारण उत्पेन्नन जोखिमों को बेहतर समझने के लिए उपग्रह और क्षेत्र आधारित प्रेक्षण को समेकित करना तथा जोखिम ह्रास सिद्धांतों की ओर कार्य करना आवश्यक है। उपग्रह संचार और नौवहन प्रणालियां भी उन्नत प्रौद्योगिकीय विकल्पों के साथ आपदा प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।"[7]

गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग प्राकृतिक आपदाओं तथा मानवजनित आपदाओं के दौरान तुरन्त हरकत में आने पर राहत–कार्य प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। यह प्रभाग इस हेतु विधान, नीति निर्धारण, क्षमता निर्माण, निवारण, प्रशमन तथा दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए भी उत्तरदायी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित संबद्ध राज्य आयोगों का भी यह कर्त्तव्य है कि वह देश की ज्वलंत प्राकृतिक समस्याओं पर विचार कर उन समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने में सरकार की सहायता करें जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आते। तभी सही मायनों में देश में मानवाधिकारों की रक्षा हो पाएगी। सभी संस्थाएँ मिलजुलकर काम करेगी तो आपदा से लोगों को राहत मिल सकती है। परस्पर अखंड सहयोग से समस्याओं की तीव्रता को कम किया जा सकता है। इसमें जनता का प्रबोधन और सहयोग भी महत्त्वपूर्ण है।

संदर्भ :

1- https://hi.wikipedia.org /wiki

2. http://www.chauthiduniya.com/2009/08/manavadhikar&aur&rastro.html मानवाधिकार और राष्ट्रों की संप्रभुता, रवि किशोर

3. दलित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए प्रवेशिका लेखन स्वप्न शाह तोलाराम चौहान उन्नति विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद

4. https://www.orfonline.org/hindi/research/ जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार, समीर सरन, विदिशा मिश्र

5- https://www.jagran.com/blogs/prinsu

6- HUMAN RIGHTS AND NATURAL DISASTERS Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disaster

7- https://www.isro.gov.in/node/12952

• • • •

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स
आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110023

ISSN 0973-7588

9 770973 758802